



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 398843

" विनय मैमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट "

578, फेण्ड्स कालोनी, इटावा (उ०प्र०)

आज दिनांक 18.08.2012 को हम लोगों शिवप्रसाद यादव, विनीत यादव व श्रीमती संतोष कुमारी ने एक ट्रस्ट की स्थापना का निर्णय लिया है। ट्रस्ट की स्थापना हेतु श्रद्धा यादव पुत्री श्री उमेश यादव निवासी खुशीपुरा झांसी ने 11000/-रु० की धनराशि का सहयोग प्रदान किया है। ट्रस्ट की नियमावली व अन्य विवरण निम्नवत् रहेगा।

1. ट्रस्ट का नाम- विनय मैमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट होगा।
2. ट्रस्ट का कार्यालय- 578 फेण्ड्स कालोनी इटावा उ०प्र० होगा। ट्रस्टीगण आपसी सहमति से इसे अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र- सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्ट के समेकित उद्देश्य निम्नांकित होंगे-

1. शिक्षा की उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी एवं शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी, जू०हा०स्कूल माध्यमिक उ०मा०, स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओं के लिये हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने हेतु विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यकता होने पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना।

सन्तोष कुमारी

Vinay

शिवप्रसाद यादव



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 398844

2

- 2- इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबन्धन, पैरामेडिकल, नर्सिंग, फार्मसी और अन्य सभी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा उनका विकास एवं संचालन करना तथा इन क्षेत्रों में नवीन शोध हेतु अपने शैक्षिक संस्थानों में सुविधाएँ/प्रयोगशालाएँ स्थापित करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकता होने पर अन्य शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना।
- 3- अपने शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक शारीरिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति एवं जन जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु शैक्षिक तथा अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- 4- उपरोक्त शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक होने पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक तथा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित अस्पताल खोलना तथा उनका संचालन करना।

समन्वयक कुमारी

Unet



विधान एवं नियमावली

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 398845

1. ट्रस्ट का नाम- विनय मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट होगा।
2. ट्रस्ट का कार्यालय- 578, फ्रेण्ड्स कालोनी, इटावा (उ0प्र0) होगा। ट्रस्टीगण आपसी सहमति से इसे अन्य स्थान पर भी स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. ट्रस्ट का वर्ष- 2012
4. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारतवर्ष

इस ट्रस्ट को संचालित करने के लिये निम्नलिखित ट्रस्टीगण होंगे।

क्र०सं०	नाम	उम्र	पद	पता	हस्ताक्षर
1	श्री शिवप्रसाद यादव पुत्र स्व० श्री बाबूराम यादव	52 वर्ष	मैनेजिंग ट्रस्टी	ग्राम व पोस्ट हरदू जिला-औरैया	
2	श्री दिनीत यादव पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव	26 वर्ष	ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी	मनिकपुर मोड़ अड़डा निहाल इटावा	
3	श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री शिवप्रसाद यादव	48 वर्ष	ट्रस्टी	ग्राम व पोस्ट हरदू जिला-औरैया	

सन्तोष कुमारी

Uttar

Shiv Prasad Yadav



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 398846

उपरोक्त ट्रस्टी आजीवन निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुये ट्रस्ट का संचालन करेंगे।

1. ट्रस्टीकरण की सभी बैठकों की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मैनेजिंग ट्रस्टी व ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी दोनों के अनुपस्थिति की दशा में किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी। ट्रस्ट बैठकों में सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा बैंक के समस्त खातों का संचालन किया जायेगा। आवश्यकता पडने पर ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी की अक्षमता अथवा अनुपलब्धता पर ज्वाइंट ट्रस्टी के हस्ताक्षर से खाते का संचालन होगा ताकि ट्रस्ट की व्यवस्था समुचित रूप से संचालित हो सके।

सन्तोष कुमार

Handwritten signature

Handwritten signature



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 398847

3. ट्रस्ट के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्धसमिति का चयन ट्रस्ट के तीनों पदाधिकारियों द्वारा ही आम सहमति से किया जायेगा तथा ऐसे किसी भी पदाधिकारी का निलम्बन तथा निष्कासन ट्रस्टीगणों के बहुमत के आधार पर ही किया जायेगा।
4. ट्रस्टीगणों द्वारा चयनित किसी संस्था की प्रबन्धसमिति या प्रबन्धसमिति का कोई पदाधिकारी यदि संस्था के हितों के विपरीत कार्य करता है तो ट्रस्टीगण बहुमत के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी वक्त या तो पूरी प्रबन्धसमिति को भंग कर सकते हैं या किसी पदाधिकारी को बिना कारण बताओ नोटिस दिये निष्कासित कर सकते हैं।
5. ट्रस्टीगण यदि स्वेच्छा से समाज की और अधिक सेवा करना चाहते हैं तो ट्रस्ट द्वारा संचालित एक संस्था कई संस्थाओं या सभी संस्थाओं में प्रबन्धक/मंत्री, उपप्रबन्धक/उपमंत्री तथा कोषाध्यक्ष पद पर प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी भी बन सकते हैं और कोई भी ट्रस्टी स्वेच्छा से किसी संस्था की प्रबन्ध समिति से ट्रस्टीगणों को विश्वास में लेकर कार्यमुक्त हो सकता है।

रामलोककुमारी

Unst

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 398848

6. ट्रस्ट के सुचारु प्रबन्ध आय व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठके आयोजित की जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष में कम से कम तीन बैठकें अवश्य आयोजित की जायेगी।
7. ट्रस्ट की बैठकों का कोरम कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति से पूर्ण होगा।
8. बैठकों की समस्त कार्यवाही निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका में अंकित की जायेगी।
9. आय व्यय के रजिस्टर पर मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर संयुक्त रूप से भुगतान व आय प्रमाणित करने के लिये किये जायेंगे।
10. ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति पर मैनेजिंग ट्रस्टी को पूर्ण नियन्त्रण होगा।
11. मैनेजिंग ट्रस्टी की आज्ञा के बिना किसी भी बैठक को आहुत नहीं किया जा सकता है।
12. ट्रस्ट के सुचारु रूप से संचालन के लिये आय व्यय का व्यौरा बनाया जायेगा। जिसका अनुमोदन तथा विश्लेषण ट्रस्टीगणों की बैठक में किया जायेगा।

सन्तोषकुमार

Unet



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 398849

13. स्मृति पत्र में वर्णित तीनों प्रारम्भिक व्यक्तियों के अतिरिक्त इस ट्रस्ट का कोई भी अन्य व्यक्ति न तो सदस्य हो सकता है और न ही पदाधिकारी। जब तक वर्तमान ट्रस्ट मण्डल के कम से कम दो लोग जीवित रहेंगे तब तक इस ट्रस्ट में किसी अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं किया जायेगा। जब एक ही सदस्य जीवित रह जायेगा तो उसे अधिकार होगा कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक अपने उत्तराधिकारियों में से ही किन्हीं दो व्यक्तियों को ट्रस्टी के रूप में नामित करें। ट्रस्ट के प्रारम्भिक तीनों ट्रस्टीगण में जब तक एक भी आखिरी ट्रस्टी जीवित रहेगा तब तक वही मैनेजिंग ट्रस्टी रहेगा। प्रारम्भिक तीनों ट्रस्टी गणों की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के सदस्य होंगे जिसमें बड़ा पुत्र ही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा। आखिरी जीवित बचे मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नामित किये गये नये ट्रस्टी यदि ट्रस्ट के हित में कार्य नहीं करते हैं तो मैनेजिंग ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह उन्हें हटाकर दूसरे ट्रस्टी नामित करें। जिससे ट्रस्ट की व्यवस्था अग्रिम कार्यों के लिये सुचारु रूप से संचालित हो सके।

14. ट्रस्ट के इस विधान में मैनेजिंग ट्रस्टी के निर्देशानुसार ऐसा कोई भी संशोधन किया जा सकता है, जहाँ उसकी दृष्टि में ट्रस्ट के संचालन हेतु आवश्यक हो। किसी भी स्थिति में कठिनाई उत्पन्न होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्याओं का जो समाधान किया जायेगा वही सर्वमान्य होगा।

श-रोषकुमारी

Unset

[Signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AB 326367

15. इस ट्रस्ट का विलय अन्य किसी ट्रस्ट/समिति में नहीं किया जायेगा। यदि कोई समिति/ट्रस्ट जनहिता में अपना विलय इस ट्रस्ट में करना चाहता है उस समिति/ट्रस्ट द्वारा बहुमत प्रस्ताव पारित करके उस ट्रस्ट/समिति का विलय कर सकेगा लेकिन विलय के बाद पिछली ट्रस्ट/समिति के किसी भी पदाधिकारी को इस ट्रस्ट में रखने की बाध्यता नहीं होगी। इस पूरी विलय प्रक्रिया को लागू करने के लिये ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ही अधिकृत होगा। यदि ट्रस्ट को अन्य किसी कार्य को सम्पादित करने के लिये विधिक रूप से कोई समिति के पंजीकरण की आवश्यकता हुई तो वह समिति भी इस ट्रस्ट के अधीन ही होगी और सारे अधिकार भी मैनेजिंग ट्रस्टी व अन्य ट्रस्टी गणों को ही होंगे और मैनेजिंग ट्रस्टी संस्था/समिति के संचालन के लिये किसी की भी पदाधिकारी/कमेटी नामित कर सकता है और यदि इसके द्वारा ट्रस्ट/संस्था/समिति के हितों के विरुद्ध कोई कार्य किया गया तो तत्काल प्रभाव से मैनेजिंग ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह उसे हटाकर पुनः नये पदाधिकारी/कमेटी नामित कर दें तथा इस संस्था/समिति के खातों का भी संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा एकल रूप से किया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी में ही निहित है।

रामेश्वर प्रसाद

Vinay

Prakash



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AB 326368

ट्रस्टीगण के अधिकार

1. ट्रस्ट के फण्ड का समुचित प्रबन्ध करना तथा होने वाली आय, लाभ एवं व्याज को प्राप्त कराना उस पर होने वाले व्यय व अन्य देनदारियों का भुगतान करना।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी — ट्रस्ट का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होगा तथा वह ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करेगा। ट्रस्ट की तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की बैठकों की कार्यवाही लिखित लिपिबद्ध करवाएगा तथा ट्रस्ट के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेगा। ट्रस्ट की अदालती में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों की व्यवस्था करना उनका आकरिमिक निरीक्षण करना प्रधानाचार्य को अवकाश देना व उसके द्वारा संचालित विद्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, पदच्युत करना, वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना व भुगतान करना उसके अधिकार में होगा। ट्रस्ट की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, क्रय तथा विक्रय करना हस्तान्तरण किराये पट्टे पर लेने देने सम्बन्धित प्रपत्रों दस्तावेजों, शर्तनामों, ब्रैनामों आदि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट के विकास हेतु समस्त प्रकार की धनराशियाँ सरकारी विभागों से अनुदान, ऋण आदि प्राप्त करना, अनुदान वाले प्रपत्रों दस्तावेजों आदि पर हस्ताक्षर करना, ट्रस्ट की ओर से ऋण देने वाले के पक्ष में बन्धक वाले प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य होगा।

सन्तोष कुमार

Unet

34AB 326368



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AB 326369

3- संयुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी-

मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उनके सभी अधिकारों का उपयोग करेंगे, मैनेजिंग ट्रस्टी की उपस्थिति में भी उनके निर्देशानुसार प्रतिनिधि के रूप में बैनामा, अदालती कार्यवाही, सम्पत्ति का कय तथा विक्रय एवं अन्य सभी कार्य करेंगे।

4. ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होंगे जो उन्हें विशेष रूप से मैनेजिंग ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त किये गये हों, तथा जो ट्रस्ट के सुचारु संचालन में उपयोगी एवं हित साधक हो।
5. ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रस्तुत वादों की पैरवी, ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ट्रस्टीगणों का होगा, इस कार्य हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी ही अधिकृत होंगे।

रामरोषकुमारी

Wineet

20/01/2020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AB 326372

6. ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्टडीड द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों व उत्तरदायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट- 1882 के अन्तर्गत प्राविधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे।
7. ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था या बैंक या वित्तीय संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान, अंशदान, उपहार, मासिक/वार्षिक चन्दा, डोनेशन ऋण और अन्य सभी प्रकार की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता आदि प्राप्त कर सकेंगे।

सन्तोषकुमारी

Vinay

प्रियन्त न विदित
कनडा-इटावा
सा २६८ धारा-२०१६

यास पत्र

11,000.00

110.00

20

130.00

1,000

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

शब्द लगभग

न्यास की राशि

श्री शिव प्रसाद यादव (मैनेजिंग ट्रस्टी)

पुत्र श्री स्व० बाबूराम यादव

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी ग्राम व पो० हरदू जिला औरैया

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/8/2012 समय 12:35PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश सिंह

उपनिबन्धक

इटावा

18/8/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री शिव प्रसाद यादव (मैनेजिंग ट्रस्टी)

पुत्र श्री स्व० बाबूराम यादव

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम व पो० हरदू जिला औरैया



श्री विनीत यादव (ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी)

पुत्र श्री शिव प्रसाद यादव

पेशा व्यापार

निवासी मानिकपुर मोड अड्डा निहाल शहर इटावा

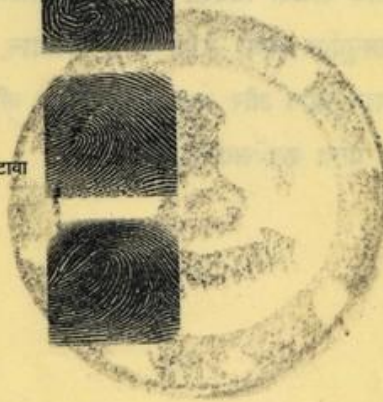
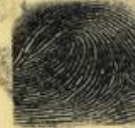


श्रीमती सन्तोष कुमारी (ट्रस्टी)

पत्नी श्री शिव प्रसाद यादव

पेशा गृहिणी

निवासी ग्राम व पो० हरदू जिला औरैया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AB 326370

8. ट्रस्ट के समस्त लेख एवं आय व्यय का विवरण निर्धारित लेखों/अभिलेखों में अंकित किया जायेगा। ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 21 मार्च तक की समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, आय-व्यय, बैलेन्स शीट तैयार कराकर उसका किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्ट से आडिट कराया जायेगा।
9. ट्रस्टीगण द्वारा समय-समय पर ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों तथा लेखालिपिक, कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जायेगी तथा उसके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेंगे ऐसे कर्मचारियों का देय वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फण्ड से ही भुगतान किये जायेंगे।
10. ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा कि वह बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर ट्रस्ट के व्यापक हित में ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय कर सकेंगे या गिरवी रख सकेंगे किन्तु गिरवी रखकर या बँचकर जो धन प्राप्त होगा वह सर्व सम्मति से ट्रस्ट या ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं के विकास हेतु या ट्रस्ट की किसी अन्य सम्पत्ति को क्रय करने हेतु ही उपयोग किया जायेगा।
11. ट्रस्ट के सभी फण्ड आयकर अधिनियम की धारा-13 के प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रयुक्त एवं निवेशित किये जायेंगे।

सन्तोषकुमारी

Wineet

Signature





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AB 326371

ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल-अचल सम्पत्ति, यदि किसी कारणवश ट्रस्ट भंग हो जाये अथवा समाप्त हो जाये तो समान उद्देश्यों के लिए कार्यरत अन्य किसी संस्था को सौंप दी जायेगी, जो इसका उपयोग सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ही करेगी।

अतः हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रस्टीगण यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 12.08.2012 2012 की तहसीर ऊर दी कि सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर ट्रस्टीगण-

श्री शिवप्रसाद यादव पुत्र स्व० श्री बाबूराम यादव

श्री विनीत यादव पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव

श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री शिवप्रसाद यादव

Shiv Prasad
Winet

सन्तोषकुमारी

62
16/11/12
16/11/12
16/11/12

विश्वनाथ स्तम्भ विहारा
क-पट्टी-इटावा
ला नं 68 दिनांक- 2018

न्यासी

Registration No.: 59

Year : 2,012

Book No. : 4

0101 शिव प्रसाद यादव (मैनेजिंग ट्रस्टी)

स्व० बाबूराम यादव
ग्राम व पो० हरदू जिला औरैया
व्यापार



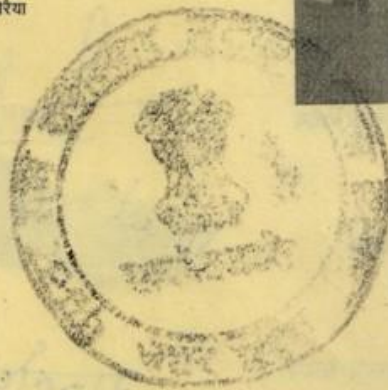
0102 विनीत यादव (ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी)

शिव प्रसाद यादव
मानिकपुर मोड अड्डा निहाल राहर इटावा
व्यापार



0103 सन्तोष कुमारी (ट्रस्टी)

शिव प्रसाद यादव
ग्राम व पो० हरदू जिला औरैया
गृहिणी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

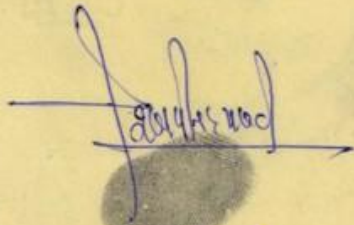
34AB 326373

गवाह

1. भारत धन्डा ४० जी अगदैव राजमि ६४ साइट नं १
निखई भगर, काभपुर -
2. वैनीराम पाह ४० जी राम शंकर निवहापुर पुर, औरंगा
अमजद मेरिया

13/11

← Ben Rgm



सन्तोषकुमारी

Wineet

64
168M
92
Gom Hm 500
168M

18/08/2012
168M
168M

आज दिनांक 18/08/2012 को
वही सं. 4 जिल्द सं. 44
पृष्ठ सं. 131 से 158 पर कमांक 59
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

